शपथ पत्र

कुमार / कुमारी ______________________________ माता-पिता / अभिभावक __________________________ (उत्तरदायी) संरक्षक {Guarantor} की प्रार्थना पर पतंजलि गुरूकुलम, उत्तराखण्ड

में प्रवेश के लिए चयनित किया जा रहा है। विद्यार्थी की उच्च शिक्षा व कौशल विकास के लिए पतंजलि गुरूकुलम ______________________________ उत्तराखण्ड के नियम व शर्तें सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा या अन्य

जो भी शिक्षा बोर्ड निर्धारित करेगा (विशेषतः संस्कृत व वैदिक सन्दर्भ में) उसके लिए लागू होंगी। यह की उत्तरदायी {Guarantor} संदर्भानुसार इसका निष्पादक, अर्थ प्रबन्धक और विधिक प्रतिनिधि भी होगा।

निम्नलिखित विषयों पर अभिभावक की सहमति है:-

1. यह कि छात्र / छात्रा जो पतंजलि गुरूकुलम में प्रवेश ले रहा है, व उसके अभिभावक / जमानती द्वारा विद्यालय / गुरूकुलम द्वारा बनायें गये नियम व निर्देश एवं शिक्षा प्रणाली व उसके उददेश्यों को भली-भांति समझ लिया है व उन्हीं के अनुसार पतंजलि गुरूकुलम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सहमत है|

2. यह कि छात्र / छात्रा विद्यालय / गुरूकुलम में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा एवं समस्त नियम एवं निर्देशों का पालन करते हुए यहाँ शिक्षा ग्रहण करेगा।

3. यह कि जमानती / अभिभावक यह सुनिश्चित करेंगे कि वह नियमित रूप से विद्यालय शुल्क एवं समस्त प्रकार की सहयोग राशी जो कि देय है अथवा अद्यतित कि जायेगी समयानुसार विद्यालय के खाते में जमा करेगा।

4. यह कि प्रवेश उपरान्त, निम्न प्रपत्रों में (उदाहरणार्थ आयु प्रमाण-पत्र, विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, विद्यालय स्वास्थ्य-पत्र) अथवा अन्य कोई प्रपत्र जो कि विद्यार्थी / अभिभावक / माता / पिता / जमानती द्वारा रिकॉर्ड के लिए जमा किया जायेगा उनमें यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती / त्रुटि पूर्ण / अप्रमाणिकता पायी जाती है तो छात्र / छात्रा को संस्था से तुरंत निष्कासित कर दिया जायेगा और उसका स्थान अन्य योग्य बालक को दे दिया जायेगा।

5. यह कि प्रवेश के पश्चात यदि विद्यार्थी किसी भी समय किसी रूप में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अस्वस्थ पाया जाता है| जो कि किसी सक्षम चिकित्सक द्वारा उसको संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के अयोग्य बताये जाने पर तत्काल छात्र को विद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा। यह भी समझा जाये कि किसी परिस्थिति में यदि कोई गंभीर क्रोनिक बीमारी विद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र / छात्रा की जाँच में पायी गयी अथवा छात्र अभिभावक / जमानती के द्वारा प्रवेश के समय छिपायी गयी हो, ऐसी जानकारी प्रकाश में आने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा।

6. यह कि विद्यालय / गुरुकुलम के छात्र / छात्रा की किसी भी प्रकार की क्षति, चोट, दुर्घटना आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो कि विद्यालय में रहने के दौरान खेल, अन्य गतिविधीयाँ या किसी बीमारी से पीड़ित होने पर चिकित्सा आदि में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय का वहन जमानती / अभिभावक द्वारा ही किया जायेगा, विद्यालय से बाहर चिकित्सा होने के समय देख-रेख की जिम्मेदारी जमानती / अभिभावक की ही होगी।

7. यह कि विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण प्रत्येक अकादमिक वर्ष की समाप्ति पर मार्च में किया जायेगा। यदि विद्यालय प्रशासन की दृष्टि में विद्यार्थी / बालक समुचित प्रगति नहीं करता है तो अध्ययन में वह धनराशि जो कि विद्यालय सहयोग राशि के अंतर्गत कम की गई थी अथवा छात्रवृत्ति / छूट दी थी। उसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है| इसी प्रकार का अन्य कदम उठाया जा सकता है यदि विद्यालय प्रशासन की दृष्टि में छात्र / विद्यार्थी का आचरण व गतिविधियाँ संतोषप्रद नहीं रहीं। पालक / जमानती / अभिभावक के प्रति विद्यालय प्रशासन का निर्णय ही अंतिम व बाध्यकारी होगा।

8. यह कि यदि विद्यार्थी विद्यालय परिसर से विद्यालय प्रशासन की बिना लिखित पूर्वानुमति से जाता है अथवा भागता है तो विद्यालय प्रबंधन / प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या किसी भी प्रकार से उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व नहीं वहन करेगा| ऐसी घटनाओं के संदर्भ में विद्यालय प्रशासन बालक को विद्यालय में रखेगा अथवा नहीं यह निर्णय अनुशासन एवं अन्य छात्रों के हितों व सुरक्षादी को देखकर लिया जायेगा जो कि अंतिम व मान्य होगा।

9. यह कि विद्यालय प्रबंधन / प्रधानाचार्या विद्यालय के हित में विद्यार्थी को विद्यालय से हटा सकते हैं यदि विद्यालय के मत में विद्यार्थी विध्यालयीय अनुशासन के अनुसार प्रदर्शन नहीं करता है और उसकी उपस्थिति से उसके अन्य सहपाठीगण की शिक्षा भी बाधित होती है तथा विद्यालय से बिना किसी स्वीकृत अवकाश के यदि विद्यार्थी 15 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम विद्यालय की नामांकन सूची से हटाया जा सकता है।

10. यह कि अभिभावक / जमानतदार जब कभी भी विद्यालय अवकाश मध्यावधि आदि देगा तो व्यक्तिगत रूप से विद्यालय आकर अपने बालक को ले जाना होगा अथवा किसी अन्य के अधिकार पत्र के साथ उनकी ओर से आना होगा जैसे कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्देशित किया जायेगा| जिसकी सत्यापित छायाचित्र व हस्ताक्षर अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार विद्यालय को देना होगा| यदि तय समय पर कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में सूचित नहीं करता है तो अन्य अभिभावक (जिसका छाया चित्र व हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में विद्यालय को प्राप्त है) के साथ जाने की अनुमति दे दी जाएगी अथवा विद्यार्थी को मित्र के साथ घर जाने की अनुमति दे दी जायेगी जिसकी पूरी जिम्मेदारी और जोखिम पूर्णतया जमानतदार की होगी।

11. यह कि यदि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है अथवा परीक्षा को नाटक पूर्ण आधार पर छोड़ता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जायेगा एवं संपूर्ण छात्रवृत्ति / छूट आदि वापस ले ली जायेगी| यदि अभिभावक / जमानती ऐसे किसी संबंधित विषय में पूर्ण सहयोग निधि देता है अथवा देने की इच्छा प्रकट करता है तो भी विद्यालय प्रशासन के पास यह अधिकार है कि वह विद्यालय से निष्कासित करे अथवा नहीं।

12. यह कि विद्यालय की मार्गदर्शिका (Prospectus) का विद्यार्थी व अभिभावक पूर्णतःपालन करेंगे| उसमें विनियमित नियम एवं शर्तें समय समय पर संशोधित होती रहेंगी, जैसा कि सम्मलित होते समय निर्देश स्वीकार किये गये हैं| नियमों को अभिभावक या विद्यार्थी के द्वारा भंग अथवा उल्लंघन किये जाने पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र / बालक को विद्यालय से निकालने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

13. यदि विद्यार्थी नियम व निर्देशों की अवमानना करता है एवं इस कारण कोई अप्रिय घटना विद्यालय परिसर अथवा बाहर घटती है तो विद्यालय का कोई भी दायित्व नहीं होगा।

14. यह कि जमानती / अभिभावक अपने बालक के बेहतर व्यवहार हेतु सामान्य नियमों का अवलोकन करें, अन्य कोई व्यक्ति जो कि अभिभावक की ओर से परिसर में आये हैं| यदि नियमों का किसी भी प्रकार का उल्लंघन अभिभावक / जमानती अथवा उनकी ओर से प्रस्तुत व्यक्ति द्वारा किया गया तो प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित कर सकता है।

15. विद्यालय की ओर से किसी पत्र की प्रतीक्षा किये बिना यह अभिभावक / जमानती की जिम्मेदारी होगी कि वो विद्यालय सहयोग निधि में भुगतान संबंधी जानकारी रखें और धनराशि को निश्चित समयावधि में जमा कराये| यदि ऐसा होता है तो इस संबंध में विद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा जमानती को विलम्ब शुल्क के साथ सहयोगनिधि जमा करानी पड़ेगी।

16. यह कि समस्त प्रकार के व्ययों का भुगतान जिसमें कि स्टांप ड्यूटी और अन्य है इसके भुगतान का वहन अभिभावक / जमानती द्वारा किया जायेगा।

17. यह कि जमानती भली प्रकार यह जान ले कि किसी भी विधिक कार्यवाही का क्षेत्राधिकार हरिद्वार न्याय क्षेत्र ही होगा।

साक्षीगण की उपस्थिति में उपरोक्त किया गया यह प्रपत्र उपरोक्त तिथि और वर्ष में अधिशासित किया गया।

सत्यापित

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूं कि ऊपर कही गई बातें मैंने पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ ली है व उनसे मैं पूर्ण रुप से सहमत हूं व अपनी स्वेच्छा से बिना किसी जौर दबाव के सहमति व्यक्त करता हूं जिसके पालन में प्रभु मेरा सहयोग करें।

माता / पिता / अभिभावक / जमानती का नाम ____________________________

पता ____

साक्षी 1:	साक्षी 2:
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पता	पता
दिनांक	दिनांक